Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में जिला कलक्टर कार्यालय का कनिष्ठ सहायक एवं उसका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 2 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 जुलाई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर हनुमानगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक, सहायता विभाग, कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ एवं उसके दलाल जगरूप सिंह (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **2 लाख रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की हनुमानगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता की मृत्यु होने पर कोरोना वारियर को राज्य सरकार द्वारा देय 50 लाख रुपये की सहायता राशि की फाइल को प्रोसेस कर स्वीकृत करवाने की एवज में सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक, सहायता विभाग, कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा कुल राशि के 5 प्रतिशत कमीशन के रूप में **2 लाख 50 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी, हनुमानगढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तेजपाल** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष चंद** एवं टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए सुभाष स्वामी पुत्र श्री दयाराम स्वामी निवासी वार्ड नं. 12, मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल कनिष्ठ सहायक, सहायता विभाग, कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को उसके दलाल जगरूप सिंह पुत्र श्री चनन सिंह निवासी वार्ड नं. 11, सिक्खेां की बस्ती, चिस्तिया, 1 जेडीडब्ल्यू, जन्डावाली, जिला हनुमानगढ़ (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **2 लाख रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।